

संचिका सं०-14/डी०एल०ए० (बी०आर०बी०सी०एल०)-औरंगाबाद-232/2012-100/रा० पटना, दि०-11/11/2012

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिसूचना

तारीख:-2012

सं०..... आर०

चूकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव-केरका, थाना-55, परगना-कुटुम्बा, थाना-नवीनगर, जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी०आर०बी०सी०एल०) के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव केरका के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम-वेश जो 29.5225 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एव चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

अधिकृत खेसरा सं०- अंश- 462, 1544, 1557, 1570, 1572, 1587

उत्तर:- खेसरा सं० 462, 1543, 1584, 1544, 1581, 472

दक्षिण:- खेसरा सं० 463, 1570, ग्राम सिवाना एकधरा, 1571, 1586


पूरब:- खेसरा सं० 1587, 1570, ग्राम सिवाना खैरा, 1574, 1582

पश्चिम:- खेसरा सं० 470, 1569, 1571, 496

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधिन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा। समाहर्ता औरंगाबाद, भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी०आर०बी०सी०एल०) के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 A (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे।



समाहर्ता
औरंगाबाद।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी० डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।